गयी कुल हानियां क्रमशः लगभग रू. 1565.14 करोड़ और रू. 1421.46 करोड़ है ।

(ग) सरकार द्वारा इन उपक्रमों में 31-3-92 तक किया गया निवेश तथा दी गयी सहायता निम्नानुसार है :-

(रू. करोड़ में)

	एफ.सी.आई.	एच.एफ.सी.
साम्य	616.39	670.02
ऋण	557.43	848.03
स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के लिए सहायता अनुदान	10.00	8.89

(घ) सरकार ने इस तरह की किसी योजना को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया है । तथापि, एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी. के मामलों को संबंधित कम्पनियों ने बी.आई.एफ.आर. को भेज दिया है । इन उपक्रमों के पुनरूद्धार के संबंध में कार्यवाही पर अंतिम निर्णय बी.आई.एफ.आर. द्वारा मामले की सुनवाई, रसायन उद्योग पर त्रिपक्षीय समिति के विचार तथा बजटीय स्रोतों द्वारा कोष की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा ।

Allotment of rapeseed oil

156. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have made any allotment of rapeseed oil to Arunachal Pradesh during 1989-90, 1990-91 and 1991-92 so far;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether such allocation is directly collected by the State Government from the State Trading Corporation of Delhi/Calcutta or the authorised agents; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) Yes Sir. During the oil year November '89-October; '90 a quantity of 110 tonnes of imported Rapeseed Oil was allocated to Arunachal Pradesh and none thereafter.

(c) and (d) Imported Rapeseed Oil allocated was lifted by the State Government Co-operatives of Arunachal Pradesh, who are the authorised agents of the State Government. During the Oil year 1989-90 a quantity of 33 tonnes of imported Rapeseed Oil was lifted by the State Government agents from the STC Depot at Guwahati.

Newsitem captioned "Revamped but not enough to fill stomachs"

157. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the Economic Times dated 31st May, 92 captioned as "Revamped, but not enough to fill stomachs"; and

(b) if so, the steps taken to rectify the shortfalls?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) Yes, Sir.

Allocations of PDS items are made to States/UTs, on a month to month basis, taking into account the stocks in Central Pool, *interse* requirements of States/UTs, seasonal availability and other related factors.

The Central Government has made specific additional allocations of foodgrains to Rajasthan, for distribution exclusively in the identified areas under the Revamped Public Distribution System (PDS) from June, 1992. The additional quantity allotted to Rajasthan is 26,500 tonnes each for June and July, 1992. The

State Government has also been requested to augment the normal allocation for these areas through the addition of quantities now allocated.

Kerosene racket

158. SHRI S. MADHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government was drawn to the news item published in Hindu dated 15th June, 1992 captioned "kerosene racket bursted" and if so, the details of the investigation;

(b) if so, what are the details of arrests made in this regard; and

(c) whether any link between the Kerosene dealers and the officials, was found and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता

159. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों तथा उनकी उपलब्धता पर निगरानी रखने हेतु कोई विशेष उपाय किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इन उपायों की समय-समय पर समीक्षा करने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतिम बार की गई समीक्षा के संबंध में की गई टिप्पणियां क्या हैं;

(ङ) क्या इन उपायों से वांछित परिणाम निकले हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मूल्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति, मूल्यों की परिवीक्षा संबंधी सचिवों की विशेष कार्यवाही समिति नियमित आधार पर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की परिवीक्षा कर रही हैं। ये समितियां आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने तथा उनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपाय करती हैं । नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी दैनिक तथा साप्ताहिक आधार पर 10 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की परिवीक्षा करता रहा है ।

(ग) से (छ) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों की मूल्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति, मूल्यों की परिवीक्षा संबंधी सचिवों की विशेष कार्यवाही समिति तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है । आवश्यक वस्तुओं की सामान्य आपूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने, आधार ढांचे संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने तथा साथ ही इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने पर विधिवत विचार किया जाता है । मूल्यों को निरंतर परिवीक्षा के परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 12 सप्ताहों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसकी तुलना में गत वर्ष की इसी अवधि में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ।